

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:प.11(1)मं.म./1999

जयपुर, दिनांक:-7/12/2017

-- आज्ञा --


इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.11.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं यथा वेतन एवं सत्कार भत्ता मद (क्रम सं. 1) में संशोधन करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से वेतन एवं सत्कार भत्ता दिये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	मद	देय सुविधाएं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	1-रु 45,000/-वेतन एवं रु 34,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) 2-रु 42,000/-वेतन एवं रु 34,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा है) 3-रु 40,000/-वेतन एवं रु 30,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)

आज्ञा दिनांक 30.11.2012 में अंकित शेष सुविधाओं से संबंधित बिन्दु यथावत है। यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आई.डी.संख्या 101705862 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


यह मंत्रिमण्डल सचिवालय में सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय।
- 2-अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
- 3-प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 4-सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5-वरिष्ठ उपा सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- 6-निजी सचिव, अध्यक्षगण, विभिन्न आयोग।
- 7-संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
- 8-मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
- 9-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
- 10-रक्षित पत्रावली।


(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव